"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2009—श्रावण 30, शक 1931

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री पी. रमेष कुमार, भा. प्र. से. (डब्ल्यू. बी.: 1986) सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, उद्योग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें पदेन सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग घोषित किया जाता है.

2. डॉ. दुर्गेश चंद्र मिश्रा, भा. प्र. से. (1991) सचिव, सहकारिता विभाग एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें पदेन सचिव, सहकारिता विभाग घोषित किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से. (1992) सचिव, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें पदेन सचिव, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग घोषित किया जाता है.

4. श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (1994) सचिव, (पर्सनल) सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त, भू-अभिलेख तथा आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा सचिव (पर्सनल) सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/2/2005/1/2.— श्रीमती ऋतु सैन, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को दिनांक 27-07-2009 से 22-01-2010 तक (180 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-07-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती सैन, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती सैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती सैन के उक्त अवकाश अवधि में श्री सुनील जैन, अपर कलेक्टर, राजनांदगांव अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2009

क्र. 5342/1825/21-ब/छ. ग./2009.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एस. एल. गुप्ता, नोटरी, तहसील सूरजपुर, जिला-सरगुजा (अम्बिकापुर) के नोटरी के पद पर रहते हुये कदाचरण का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (घ) के अंतर्गत उक्त नोटरी का नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 8-39/2007/10-2.—छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं विभाग की अधिसूचना एफ क्र. 18-6-73-3-1-दस दिनांक 09-11-1973 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि इस अधिसूचना के "राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से समस्त प्रकार के बांस "विनिर्दिष्ट वनोपज" नहीं रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 8-39/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-39/2007/10-2, दिनांक 10-8-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 10th August 2009

No. F 8-39/2007/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22-a of the Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and in supersession of the Department Notification F. No. 18-6-73-3-1-X, dated 09-11-1973, the State Government, hereby, declares that the all types of Bamboos shall not be "specified forest produce" from the date of publication of this notification in the "Official Gazette".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्रमांक/1750/अ.वि.अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोतिमपुर प. ह. नं.- 49	1.214	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना, संभाग सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	रानीदहरा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 24/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सेरीखेड़ी प. ह. नं. 112	383/01	0.94	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, रायपुर.	पिरदा सेरीखेड़ी पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
		योग	**01**	**0.94**		

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./02/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73/14	1505/1-2-3	0.510	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना सड़क क्रमांक 06.
			1511	0.020		
			1513	0.202		
			1514	0.199		
			1515	0.040		
			1516	0.020		
			1519	0.377		
			1523	0.301		
			1524	0.299		
			योग 09	**1.968**		

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./25 प्र. क्र./अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मोवा प. ह. नं. 109	101/9, 104/3, 105/3	114.60	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	मोवा ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.
			98/2, 99/2, 101/5, 102/3, 103/3	63.00		
			99/4, 100/1, 101/10	44.10		
			94/8, 101/22	19.30		
			101/4, 102/2, 103/2, 104/2	33.75		
			2/1/3/402, 403	13.592		
			2/1/1/402, 403	4.465		
			2/1/4 क/402, 403	12.815		
			2/1/4 ख/402, 403	17.475		
		योग	**21**	**323.097**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2009

क्रमांक 2/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मनौरा	7.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2009

क्रमांक 3/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	परासी	10.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2009

क्रमांक 4/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	दानीकुण्डी	1.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2009

क्रमांक 6/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लिटियासरई	5.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2009

क्रमांक 2/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	बंशीताल	40.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 26/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	गुम्माटोला	7.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	सेमरहा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 9/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	धनगवां	12.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 10/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	5.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 13/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	डाड़जमड़ी	20.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेंवस व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 14/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आन्दु	7.81	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 15/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	भदौरा	8.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2009

क्रमांक 16/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	धनौली	2[illegible]9	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पकरीकछार जलाशय योजना के तहत डूब क्षेत्र, बण्ड एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

क्र./क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./09/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरोदा, प. ह. नं. 96
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.877 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	36/2	0.041
	44/1	0.417
	53/3	0.307
	53/11	0.040
	57/1	0.097
	57/4	0.051
	65/2	0.242
	66/5	0.045
	65/3	0.097
	66/3	0.040
	293/2	0.154
	316/1	0.109
	316/8	0.044
	342/10	0.144
	346/2	0.049
योग	15	1.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र. 3 मार्ग) हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर अनुविभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2009

क्र./अविअ/भू-अर्जन/प्र. क्र. 05/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	326/1	0.21
	334/1	0.07
	335/1	0.12
योग	3	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गोढ़ी-तोड़गांव पहुंच निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्र./क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 09/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-झांकी, प. ह. नं. 139/18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	584	0.05
	592	0.51
योग	2	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत सड़क क्रमांक 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्र./क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 10/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भेलावाडीह, प. ह. नं. 139/18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	1.52

	(1)	(2)
	32	1.51
	12	3.43
	63	0.14
	64	0.20
	65	0.95
	11	0.89
	41	0.06
	66	0.18
योग	09	8.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत सड़क क्रमांक 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2008

क्रमांक 27/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गुम्माटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
153/5	0.13
551	0.17
44/1	0.45
293/2	0.17
576	0.30
577/2	0.03
569/1	0.06
403	0.27
300	0.20
288	0.39
309/1	0.53
399	0.17
46	0.47
49/2	0.19
554	0.45
121	1.21
151/1	0.13
151/2	0.08
153/1	0.56
153/3	0.15
146/1, 147	0.08
580	0.08
578	0.15
48	1.02
301	0.15
302/2	0.15
122	0.40
569/3	0.36
144/1	0.38
167/1	0.28
553/1	0.29
303	0.30
144/2	0.15
59/1	0.15
60	0.30
291	0.39
550	0.57
400/1	0.09
305/3	0.18
401	0.35
49/1	1.66
51	0.38
50	0.15

(1)	(2)
577/1	0.12
292/1	0.07
306	0.48
307	0.05
293/1	0.26
148/4, 148/5	0.81
402/2, 427/2	0.08
584	0.11
581	0.23
144/3	0.42
योग 50	16.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 5/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-आन्दु
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
594/2	4.27
474/6	0.73
474/36	0.52
474/37	0.58
474/38	0.70
474/39	0.70
594/5	1.86
योग 7	9.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक 6/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-सधवानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/24 क	1.80
1/26	2.50
योग 2	4.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक 6472/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पनेका, प. ह. नं. 36/24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.563 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.789
1/7	0.316
1/3	0.328
1/11	0.186
1/2	0.635
1/12	0.316
32/9	0.364
93/12	0.032
32/6	0.401
93/13	0.040
32/1	0.150
32/3	0.182
32/7	0.170
93/7	0.097
32/2	0.137
37/1	0.206
37/3	0.206
37/2	0.364
40/1	0.097
40/3	0.291
40/5	0.182
40/4	0.178
94/2	0.052
42/9	0.291
42/10	0.590
79/3	0.145
47/1	0.506
49	0.259
53/2	0.292
48	0.129
53/1	0.170
54	0.462
योग 32	8.563

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक 6473/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कौरिनभाठा, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.275 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
525	0.668
526/1	0.324

(1)	(2)
527/2	0.291
527/3	0.226
527/7	0.194
428/1	0.032
528/3	0.008
528/2	0.081
529/2	0.243
538/1, 538/2, 538/3, 538/4	0.149
535	0.024
537	0.243
543	0.142
542	0.052
544/1	0.271
544/2	0.056
548	0.259
545/2	0.012
योग 18	3.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक 6474/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-लखोली, प. ह. नं. 26/34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.840 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
197/10, 197/11, 197/12	0.363
192/1	0.259
197/1	0.364
197/16	0.809
175/1	0.049
175/2	0.097
177/2	0.081
191/1, 191/2	0.194
192/2	0.304
192/3	0.105
190	0.688
188/1	0.057
183	0.162
188/2	0.057
188/3	0.053
187/2	0.470
182/1	0.218
181	0.421
441	0.073
442	0.097
443	0.146
444/1, 444/2	0.162
444/4	0.551
439/1	0.234
439/2	0.040
445/3	0.008
448/3	0.752
744/3	2.256
448/2	0.631
459/2	0.502
461/1	0.113
461/2	0.210
464/1	0.057
464/2	0.175
463/4	0.016
469/3	0.121
469/5	0.243
469/1	0.170
468	0.089
467	0.032
482/1	0.053
482/2	0.154
482/5	0.089
484/3	0.202

(1)	(2)
484/1, 484/4	0.202
469/4, 469/6, 469/8, 469/9, 469/10	0.304
484/2, 484/5, 484/6, 484/7, 484/8	0.202
177/1	0.073
700/1	0.336
700/7	0.336
695/2	0.138
695/1	0.134
695/3	0.133
697/2	0.061
703	0.061
667/2	0.158
715/1	0.081
704	0.008
696/3	0.061
712/1	0.081
706/2	0.008
697/4	0.202
714/1	0.073
714/2	0.121
713	0.081
725/1, 725/3	0.371
720	0.520
721	0.061
723	0.607
724/1	0.032
726/1	0.324
733/1	0.024
803/1	1.344
734	0.057
739/1	0.105
739/2	0.404
739/3	0.445
789/1	0.105
766/1	0.550
767/1	0.158
765/1	0.081
762/3	0.243
768/1	0.259
768/2	0.040
769/1	0.121
719	0.002
712/2	0.202
718	0.004
योग 88	20.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक 6475/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पेन्ड्री, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.691 हेक्टर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
738/1	2.691
योग 1	2.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक 6476/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रेवाडीह, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.791 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
350/4	0.349
354	0.231
349	0.004
353	0.032
352	0.445
356	0.077
321	0.097
322	0.073
328/5	0.121
323	0.073
325	0.061
326	0.164
327	0.113
324/2	0.061
324/1	0.061
319/6	0.559
319/8	0.202
320	0.125
389/4	0.057
389/3	0.121
46	0.061
390	0.129
391/1	0.133
392/1	0.133
392/8	0.454
392/9	0.024
393/1, 3	0.530
490/2	0.353
394/1, 394/3	0.053
394/5	0.028
394/7	0.044
395	0.138
397/1, 397/3	0.299
460/1	0.028
455/1	0.227
456	0.089
457/5	0.210
458	0.242
459	0.065
471	0.053
470/2	0.040
473	0.032
472	0.219
475	0.081
476/1	0.290
478/1	0.486
479/1	0.559
480/1	0.020
490/1	0.089
491	0.264
492/1	0.264
492/3	0.073
494/1	0.057
494/3	0.263
506/3	0.081
515/2	0.098
515/3	0.117
515/4	0.044
515/5	0.134
515/6	0.157
515/7	0.093
515/8	0.111
515/9	0.093
389/1	0.125
319/7	0.243
514	0.429
योग 66	10.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-दर्रामुड़ा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-107.391 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
265	0.081
513/1	0.197
427/2	0.121
536/1	0.077
531/3	0.088
483/1	0.186
368/1	0.202
388/4	0.167
405/1	0.076
426/2	0.280
531/2	0.089
267	0.162
512	0.380
436	0.729
481	0.065
397/5	0.052
465/5	0.061
224	0.101
396/2	0.202
447/2	0.121
456	0.299
227/1	0.024
229/6	0.055
227/3	0.247
247/4	0.097
518	0.870
466/2	0.089
488/2	0.118
559	0.061
292	0.445
540/1	0.150
513/3	0.197
420	0.093
391/1	0.344
525/1 घ	0.008
379	0.109
413/1	0.105
520/2	0.049
240	0.097
374	0.162
476	0.142
477	0.174
586	0.429
495/7	0.186
231/1	0.308
368/3	0.138
418	0.125
497/3	0.004
525/6	0.049
478	0.142
249/4	0.182
427/1	0.121
237	0.332
525/1 ग	0.009
458/3	0.105
140/3	0.065
351/2	0.178
355/2	0.101
371/3	0.089
404/1	0.162
419/6	0.044
489/1	0.085
264	0.053
506	0.304
554	0.239
480	0.409

(1)	(2)
251/1	0.154
369	0.202
492	0.154
499/1	0.093
522	0.085
273	0.332
359/2	0.040
382	0.142
357	0.146
371/2	0.113
495/5	0.020
525/3	0.121
396/3	0.283
501	0.316
2961/3	0.044
405/3	0.076
261/2	0.146
376/2	0.049
140/4	0.219
144/1	0.049
277/1	0.053
404/2	0.288
510/5	0.049
581	0.441
412	0.335
245/2	0.247
263/1	0.110
260	0.129
375/1	0.100
497/1	0.921
473/4	0.077
261	0.081
499/2	0.032
243/1	0.138
139/2	0.324
351/4	0.162
361	0.295
404/4	0.340
516	0.291
513/2	0.008
495/3	0.061
510/1	0.036
472	0.085
508	0.174
229/5	0.049
497/5	0.121

(1)	(2)
440/1	0.223
351/3	0.125
355/2	0.105
495/4	0.372
574	0.619
397/2	0.227
525/8	0.097
422/2	0.053
257/3	0.081
363/1	1.483
250/3	0.151
530/2	0.121
517/1	0.093
490/2	0.049
228/1	0.563
560/2	0.229
571/2	0.275
460	0.304
269	0.065
473/7	0.097
433/1	0.044
507	0.619
391/2	0.486
212	0.105
416	0.397
577	0.951
510/7	0.085
214	0.202
587	0.688
277/2	0.081
466/4	0.032
251/2	0.162
282	0.040
385	0.129
390	0.890
567	0.505
572	0.364
588	0.733
113/2	0.308
549	0.057
515/4	0.100
289	0.069
430	0.202
290	0.121
140/5	0.045
255	0.401

(1)	(2)
261/9	0.121
530/3	0.175
229/4	0.065
466/5	0.032
485/2	0.057
414	0.243
458/1	0.203
140/2	0.571
277/6	0.150
371/1	0.082
402/1	0.077
419/2	0.093
481/1	0.032
209/2	0.170
505	0.413
541	0.425
419/5	0.085
229/1	0.069
465/1	0.016
547/2	0.073
284	0.291
407	0.308
455/1	0.045
471	0.121
227/6	0.121
227/2	0.429
238/2	0.182
257/2	0.162
257/1	0.235
550	0.105
223/5	0.182
561/1	0.194
563/1	0.028
363/8	0.101
487/2 ख	0.207
219/2	0.121
401	0.312
408	0.413
370/3	0.049
245/1	0.085
424	0.324
475/1	0.150
544	0.045
216	0.227
275/1	0.036
536/2	0.044

(1)	(2)
226	0.057
469	0.182
525/1 ख	0.052
221	0.930
362	0.178
417	0.146
584	0.158
519	0.401
215	0.121
360/2	0.016
372	0.194
496/1	0.328
454/1	0.198
466/3	0.028
228/3	0.028
398	0.364
454/3	0.243
464	0.219
227/4	0.125
257/4	0.089
227/5	0.065
248	0.425
403	0.607
466/7	0.130
223/1	0.243
560/1	0.405
565/1	0.053
375/3	0.152
217/2	0.153
263/3	0.243
404/3	0.162
548	0.332
404/7	0.166
421/1	0.045
425	0.085
485/1	0.125
244/1	0.146
218/1	0.122
275/3	0.162
513/4	0.197
238/1	0.182
579	0.765
525/7	0.065
232	0.470
364	0.785
461	0.178

(1)	(2)	(1)	(2)
585	0.384	465/2	0.121
495/6	0.320	483/2	0.190
218/2	0.024	277/4	0.117
365	1.530	409/2	0.069
394	0.632	411/1	0.065
497/2	0.251	510/6	0.299
520/1	0.052	582	0.036
525/4	0.518	520/3	0.105
249/3	0.125	421/2	0.040
249/1	0.105	137	0.121
230	0.073	217/1	0.005
263/2	0.235	395	0.065
397/3	0.085	453/2	0.069
465/3	0.113	497/4	0.264
211	0.526	490/1	0.247
241	0.186	225	0.364
445	0.352	457	0.073
455/2	0.016	543	0.020
222	0.299	363/5	0.300
446	0.097	138	0.231
467/1	0.163	294	0.057
209/3	0.006	491/1	0.065
515/6	0.100	295	0.518
293	0.121	247/3	0.202
432	0.283	250/1	0.202
291	0.421	533	0.223
259/2	0.032	521	0.210
528	0.166	286	0.146
470/1	0.252	209/1	0.077
542/1	0.089	363/3	0.300
397/1	0.041	482	0.352
547/1	0.061	523/2	0.174
250/2	0.165	239/3	0.022
415	0.121	466/6	0.012
459	0.360	139/1	0.256
558	0.170	244/2	0.016
376/3	0.166	281	0.202
383	0.186	355/3	0.781
280	0.316	366	0.117
510/4	0.235	404/6	0.162
263/4	0.101	405/2	0.053
405/4	0.076	410	0.081
502	0.178	529	0.223
553	0.340	388/1	0.167
495/2	0.040	500	0.291
229/2	0.145	510/3	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
388/2	0.167	353	0.069
537	0.304	373/2	0.093
277/3	0.121	239	0.174
499/3	0.073	525/5	0.442
256	0.421	466/1	0.057
368/2	0.417	525/2	0.041
510/2	0.182	209/4	0.071
578	0.223	243/2	0.105
367	0.312	283	1.931
525/9	0.101	386	3.399
144/2	0.121	474	0.526
259/1	0.065	568	0.182
373/1	0.093	573/1	0.081
261/6	0.162	489/2	0.158
470/2	0.202	376/1	0.158
542/2	0.089	363/6	0.121
496/2	0.202	363/2	0.180
406	0.231	387	0.056
463	0.733	479	0.150
462	0.376	570	0.466
545	0.073	576	0.713
375/4	0.072	484	0.049
288	0.069	376/4	0.243
296	0.113	375/2	0.101
287	0.062	389	0.599
467/2	0.063	551	0.271
279	0.109	571/1	0.899
261/4	0.081	270	0.162
530/1	0.121	488/1	0.182
261/7	0.101	377/1	0.036
399	0.040	422/1	0.595
234	0.113	356	0.486
236	0.032	515/2	0.140
380	0.198	246	0.243
271	0.113	515/1	0.136
511	0.441	523/4	0.178
556	0.227	249/2	0.028
223/4	0.008	275/2	0.320
563/2	0.132	525/1 क	0.009
554/2	0.101	442/1	0.142
488/3	0.125	419/3	0.193
278	0.150	426/1	0.206
503	0.445	277/5	0.186
538	0.974	370	0.065
257/5	0.081	388/6	0.161
377/3	0.219	411/2	0.688

(1)	(2)
458/2	0.089
419/4	0.162
468	0.405
527	0.121
419/1	0.172
531/4	0.279
453/1	0.069
566	0.040
515/3	0.100
218/3	0.072
388/3	0.167
404/5	0.040
223/2	0.121
247/1	0.202
247/2	0.202
227	0.279
231/2	0.056
514	0.089
558/1	0.449
562/1	0.162
552	0.105
515/5	0.080
219/3	0.132
400	0.304
405/5	0.076
350	0.113
242	0.101
423	0.275
434	0.364
532	0.105
447/1	0.186
540/2	0.040
427/3	0.122
526/2	0.044
384	0.384
517/2	0.069
261/1	0.101
397/4	0.049
262	0.380
261/8	0.320
419/7	0.262
487/2	0.077
274	0.158
376/5	0.162
228/2	0.040
473/8	0.016
535	0.129
473/5	0.032
526/1	0.146
580	0.368
558/2	0.081
565/2	0.057
455/3	0.020
266	0.170
473/6	0.032
504	0.061
575	0.429
285	0.312
431	0.243
546	0.227
426/3	0.162
531/1	0.204
233	0.219
377/2	0.105
268	0.198
493	0.998
539	0.214
223/3	0.255
562/2	0.162
573/2	0.020
488/2	0.186
276	0.182
486/2	0.154
534	0.178
523/3	0.012
376/6	0.275
219/1	0.091
363/7	0.061
235	0.138
524	0.182
465/4	0.130
योग 523	107.391

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को औद्योगिक प्रयोजनार्थ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2009

क्रमांक/गन्ना/आरक्षण/08-09/25.— मैं, के. श्रीनिवासुलू, गन्ना आयुक्त, छ. ग. रायपुर, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर के लिये छ. ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2009-10 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आरक्षित किये जाने वाले निम्न ग्रामों का गन्ना शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	विकासखण्ड का नाम	जिला	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	आरक्षित ग्रामों में गन्ने का क्षेत्र हे. में	रिमार्क
1.	लुन्ड्रा	सरगुजा	61	786.772	संलग्न सूची में ग्राम बटवाही एवं जरहाडीह को छोड़कर
2.	सीतापुर	सरगुजा	30	164.73	
3.	अंबिकापुर	सरगुजा	39	112.886	
4.	सूरजपुर	सरगुजा	28	631.00	
5.	राजपुर	सरगुजा	30	400.221	
6.	प्रतापपुर	सरगुजा	56	216.339	

के. श्रीनिवासुलू,
गन्ना आयुक्त.

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2009-10

क्र.	गन्ना विकास केन्द्र	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	ग्रामों के नाम	फैक्ट्री से ग्राम की दूरी	गन्ना क्षेत्रफल (हे.)		
					पौधा	पेंड़ी	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अम्बिकापुर	मिल गेट	करम्हा	45	4.961	4.062	9.023
2.			रूखपुर	27	5.797	3.361	9.158
3.			नर्मदापुर	28	0.440	0.451	0.891
4.			कंचनपुर	33	3.925	1.336	5.261
5.			सकालो	30	0.704	1.318	2.022
6.			बलसेड़ी	25	5.710	6.676	12.386
7.			घघरी	26	0.269	1.561	1.830
8.			परसा	32	1.995	0.655	2.650
9.			भफौली	32	1.845	3.897	5.742

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.			सरगवां	37	0.329	–	0.329
11.			कुल्हाड़ी	23	3.287	4.157	7.444
12.			नेहरूनगर	25	0.392	–	0.392
13.			डिगमा	25	–	0.149	0.149
14.			खलिबा	27	0.228	–	0.228
15.			फुन्दुरडिहारी	31	0.228	–	0.228
16.			किसुननगर	35	0.266	0.656	0.922
17.			कोटेया	60	0.591	–	0.591
18.			नानदमाली	62	0.252	0.156	0.408
19.			पंपापुर	58	5.590	5.410	11.000
20.			खजुरी	60	8.490	6.100	14.590
21.			महेशपुर	52	0.314	–	0.314
22.			कुम्हरता	50	0.301	0.365	0.666
23.			कल्याणपुर	63	0.530	–	0.530
24.			पोड़ीकला	65	0.813	0.751	1.564
25.			ससकालो	45	1.030	0.506	1.536
26.			सोनबरसा	58	0.146	–	0.146
27.			नवानगर	64	6.063	10.155	16.218
28.			कोटेया	35	1.563	0.118	1.681
29.			कलगसा	38	0.988	0.452	1.440
30.			पोड़िया	35	0.289	0.822	1.111
31.			लवईडीह	36	0.101	–	0.101
32.			सखौली	42	–	0.042	0.042
33.			भिट्ठीकला	42	0.139	0.111	0.250
34.			लब्जी	44	0.426	0.074	0.500
35.			बकिरमा	43	–	0.123	0.123
36.			कर्रा	65	1.200	0.200	1.400
			योग		**59.202**	**53.664**	**112.866**
1.	प्रतापपुर	मिल गेट	केरता	2	9.009	0.633	9.642
2.			पंपापुर	3	1.785	–	1.785
3.			कोटेया	17	5.460	3.669	9.129
4.			जगन्नाथपुर	5	–	0.065	0.065
5.			खड़गवां	6	18.367	22.387	40.754
6.			बगड़ा	19	0.792	–	0.792
7.			गुडरूडांड़	10	11.054	4.381	15.435
8.			मांडीडांड़	10	–	0.148	0.148
9.			धरमपुर	7	1.042	0.108	1.150
10.			मदननगर	9	–	–	0.000
11.			गौरा	14	0.386	0.210	0.596

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.			भरदा	14	1.735	–	1.735
13.			पल्हड़ा	22	0.915	–	0.915
14.			सिंधरा	13	0.817	0.306	1.123
15.			चंदरपुर	15	1.892	–	1.892
16.			सुखदेवपुर	13	0.543	0.845	1.388
17.			मायापुर-2	16	0.276	0.250	0.526
18.			शंकरपुर	26	0.589	0.237	0.826
19.			सकलपुर	30	1.297	0.784	2.081
20.			झिंगादोहर	18	1.738	0.280	2.018
21.			गोटगवां	10	–	0.500	0.500
22.			सोनगरा	24	14.657	2.871	17.528
23.			चांचीडांड़	16	–	4.219	4.219
24.			टुकुडांड़	20	2.129	5.088	7.217
25.			चंद्रेली	32	1.670	5.115	6.785
26.			सोनपुर	28	2.393	0.786	3.179
27.			मसगा	26	0.517	0.237	0.754
28.			बैंकोना	23	0.159	12.000	12.159
29.			शिवपुर	18	–	0.591	0.591
30.			खजूरी	17	–	1.352	1.352
31.			बुढ़ाडांड़	25	0.363	3.249	3.612
32.			कनकनगर	16	0.292	0.715	1.007
33.			सेंधोपारा	34	0.662	0.662	1.324
34.			सेमराकला	24	5.897	13.545	19.442
35.			सिलौटा	27	9.170	2.943	12.113
36.			सौतार	26	2.501	2.067	4.568
37.			खोरमा	18	0.117	0.308	0.425
38.			प्रतापपुर	15	0.256	–	0.256
39.			मायापुर-1	20	0.685	2.575	3.260
40.			सरहरी	22	1.120	–	1.120
41.			फेफड़ा	29	0.899	–	0.899
42.			कैराडांड़	22	1.040	4.026	5.066
43.			सेमई	24	2.000	–	2.000
44.			रामपुर	19	–	1.346	1.346
45.			दरहोरा	23	1.381	2.200	3.581
46.			मरहटा	40	0.626	–	0.626
47.			खैराडीह	35	1.139	–	1.139
48.			हरिहरपुर	30	0.088	2.220	2.308
49.			चंदौरा	26	3.896	2.067	5.963
			योग		**111.354**	**104.985**	**216.339**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सूरजपुर	मिल गेट	मोहनपुर	27	10.822	6.206	17.028
2.			महेशपुर	42	0.321	1.459	1.780
3.			कसकेला	54	1.011	0.204	1.215
4.			लटोरी	30	9.652	15.301	24.953
5.			सोनवाही	38	1.029	0.614	1.643
6.			हिराडबरी	35	0.255	0.329	0.584
7.			सम्बलपुर	45	1.530	0.733	2.263
8.			रमेशपुर	35	2.247	0.923	3.170
9.			मदनपुर	30	0.895	1.591	2.486
10.			गंगापुर	37	27.112	5.970	33.082
11.			गजाधरपुर	40	0.280	0.990	1.270
12.			तुलसी	45	31.110	18.800	49.910
13.			जगतपुर	47	30.350	15.800	46.150
14.			अनुजनगर	38	3.306	1.104	4.410
15.			बिहारपुर	56	22.542	13.190	35.732
16.			करवा	53	23.624	2.994	26.618
17.			जुड़वानी	55	7.265	7.385	14.650
18.			रामेश्वरपुर	12	20.150	17.000	37.150
19.			छत्तरपुर	15	14.800	12.200	27.000
20.			अखोराकला	18	12.100	9.000	21.100
21.			हरिहरपुर	22	15.900	11.300	27.200
22.			पाठकपुर	20	16.000	7.700	23.700
23.			बृजनगर	24	6.300	3.200	9.500
24.			सुंदरगंज	26	14.000	10.200	24.200
25.			द्वारिकानगर	30	10.250	10.100	20.350
26.			पोड़िपा	19	27.206	14.150	41.356
27.			मंजीरा	23	38.200	19.301	57.501
28.			कल्याणपुर	15	50.000	25.000	75.000
			योग		**398.257**	**232.744**	**631.001**
1.	राजपुर	मिल गेट	खोखनिया	12	6.759	3.094	9.853
2.			रेवतपुर	13	18.510	20.624	39.134
3.			परसवार	15	10.140	–	10.140
4.			धन्धापुर	15	15.907	1.304	17.211
5.			शिवपुर	19	4.468	0.245	4.713
6.			कुन्दीकला	19	10.427	3.416	13.843
7.			बदौली	20	52.828	38.010	90.838
8.			अखोराखुर्द	21	39.314	30.154	69.468
9.			सिधमा	23	14.443	4.156	18.599
10.			मदनेश्वरपुर	24	2.612	–	2.612

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.			खुखरी	23	1.637	17.890	19.527
12.			खोड़रो	21	0.501	3.838	4.339
13.			बरियों	28	1.127	1.005	2.132
14.			आरा	35	3.983	-	3.983
15.			अमडीपारा	32	0.589	-	0.589
16.			चौरा	8	19.684	3.168	22.852
17.			दुप्पी	10	14.248	6.837	21.085
18.			मरकाडांड़	12	0.653	2.436	3.089
19.			नरसिंहपुर	54/18	19.369	6.071	25.440
20.			जमुनिया	52/16	1.049	-	1.049
21.			सिंहचौरा	40	0.767	0.343	1.110
22.			परसागुड़ी	35	0.827	0.408	1.235
23.			बाटीडांड़	33	0.949	0.369	1.318
24.			भेलाई खुर्द	31	0.389	-	0.389
25.			बादा	32	1.022	0.868	1.890
26.			नवकी	33	0.831	0.748	1.579
27.			झिंगो	40	8.255	-	8.255
28.			कर्रा	42	1.080	-	1.080
29.			पतरापारा	38	2.251	0.618	2.869
			योग		**254.619**	**145.602**	**400.221**
1.	लुण्ड्रा	मिल गेट	लुण्ड्रा	52	-	5.568	5.568
2.			करेसर	53	0.436	1.305	1.741
3.			अमगांव	54	0.435	0.280	0.715
4.			बहेराडीह	53	1.348	2.141	3.489
5.			कराकी	54	3.061	2.901	5.962
6.			ससौली	56	4.567	11.265	15.832
7.			डहौली	57	7.035	5.162	12.197
8.			दोरना	58	9.184	3.887	13.071
9.			असकला	59	-	2.496	2.496
10.			तुरियावीरा	60	2.532	1.485	4.017
11.			उरदरा	61	-	0.643	0.643
12.			कोरंधा	61	0.435	2.142	2.577
13.			गढ़वीरा	65	1.056	-	1.056
14.			रायखुर्द	67	-	-	-
15.			लमगांव	51	36.191	36.661	72.852
16.			सिलसिला	54	14.679	26.825	41.504
17.			सायरराई	48	1.078	1.085	2.163
18.			कोट	53	-	2.496	2.496
19.			चोरकीडीह	57	11.936	8.676	20.612

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.			दर्रीडीह	60	16.945	65.272	82.217
21.			उदारी	60	17.345	36.620	53.965
22.			डड़गांव	50	10.243	31.566	41.809
23.			बुलगा	51	4.411	9.002	13.413
24.			बकनाकला	54	0.413	3.817	4.23
25.			बरगीडीह	56	0.648	–	0.648
26.			खाराकोना	57	0.754	2.353	3.107
27.			पारवतीपुर	65	2.620	5.619	8.239
28.			झेराडीह	51	2.288	2.428	4.716
29.			डकई	67	0.720	–	0.72
30.			अजिरमा	71	2.504	4.796	7.3
31.			जमड़ी	64	0.674	0.964	1.638
32.			केपी	66	14.531	6.243	20.774
33.			महोरा	64	–	0.868	0.868
34.			करदोनी	63	3.760	0.276	4.036
35.			कर्रा	46	2.931	2.460	5.391
36.			बतौली	47	0.240	1.371	1.611
37.			बिल्महा	48	4.487	21.491	25.978
38.			डुमकी	50	2.161	10.219	12.38
39.			जूरी	45	–	0.322	0.322
40.			सखौली	56	2.206	3.154	5.36
41.			जमीरा	41	3.988	4.900	8.888
42.			मसगा	46	–	0.567	0.567
43.			बरकोल	47	0.776	1.375	2.151
44.			सेमरडीह	51	0.728	1.523	2.251
45.			करगीडीह	53	0.249	2.634	2.883
46.			खालपोंड़ी	52	1.748	2.887	4.635
47.			पटोरा	51	0.250	2.178	2.428
48.			अगासी	44	0.525	2.957	3.482
49.			गगोली	43	3.375	10.601	13.976
50.			सहनपुर	46	15.634	9.592	25.226
51.			घघरी	44	3.516	6.139	9.655
52.			कोइलारी	43	2.530	5.550	8.08
53.			नवडीहा	50	3.690	5.549	9.239
54.			करौली	56	3.375	10.422	13.797
55.			कछार	57	2.378	6.662	9.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56.			डूमरडीह	51	3.259	3.602	6.861
57.			देवरी	53	2.909	9.895	12.804
58.			नागम	55	4.356	8.915	13.271
59.			पसेना	58	3.646	6.207	9.853
60.			गुजरवार	56	10.917	11.945	22.862
61.			रीरी	57	8.663	2.940	11.603
62.			बरडीह	53	0.135	0.415	0.55
63.			जोरी	54	–	0.320	0.32
64.			पड़ौली	56	2.161	10.219	12.38
			योग		**294.147**	**492.625**	**786.772**